शीर्ष प्राथमिकता/आज ही/ई–मेल
संख्या– 1005/आठ–6–2024

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1	**आयुक्त,** आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	2	**निदेशक,** नगर भूमि सीमारोपण, उ0प्र0 लखनऊ।	3	**उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,** समस्त विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4	**नियत प्राधिकारी/जिलाधिकारी,** समस्त विनियमित क्षेत्र,उ0प्र0।	5	**मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,** नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।	6	**निदेशक,** आवास बन्धु।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 **लखनऊ:दिनांक 08 मई, 2024**

विषयः समूह–'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–63/47–का–5–2024 (1788429) दिनांक 24.02.2024 एवं शासनादेश संख्या–163(1)/सैंतालीस–का–5–2024–(1810563) दिनांक 07.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य की सेवा में कार्यरत समूह–'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष–2023–2024 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाना है जिसके लिए शासनादेश दिनांक 24.02.2024 में वर्ष–2023–24 से वार्षिक प्रविष्टि मानव संपदा पोर्टल यू.आर.एल. ehrms.upsdc.gov.in पर online दाखिल किये जाने के संबंध में workflow दिनांक 30.04.2024 तक जेनरेट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– अतः अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत समूह–'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को वर्ष 2023–24 से वार्षिक प्रविष्टि (ए0सी0आर0) मानव संपदा पोर्टल पर दाखिल किये जाने हेतु workflow जेनरेट कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त श्रेणी के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह समयान्तर्गत स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर online प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में आहूत ऑनलाईन बैठक दिनांक–09.05.2024 (पूर्वान्हन 10:45 से 11:00 बजे तक) में अपने अधीनस्थ कुल कार्यरत/मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत समूह–'क' एवं 'ख' के अधिकारियों का workflow जेनरेट कराकर कृत कार्यवाही की सूचना/विवरण सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त(ई–मेल के माध्यम से)।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव।

GO Deep Comp

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपसचिव, कार्मिक अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. अनुभाग अधिकारी(लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन लेखा अनुभाग।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव।

GO Deep Comp

आग्रे
460
JS
8/5/2024
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

महत्वपूर्ण/मानव संपदा पोर्टल
ऑनलाइन बैठक दिनांक 09.05.2024

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-5
संख्या- 173/सैतालीस-का-5-2024-(1788429)
लखनऊ: दिनांक : **08/05/2024**

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आप अवगत है कि उ०प्र० राज्याधीन सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी विवरणों के ऑनलाइन रखरखाव हेतु `मानव सम्पदा पोर्टल` विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश सं०-63/47-का-5-2024 (1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष-2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने के निर्देश देते हुए दिनांक 30.04.2024 तक Workflow जेनरेट करने के आदेश भी दिये गये है तथा पत्र सं०-63(1)/47-का-5-2024 (1788429), दिनांक 05.04.2024 द्वारा अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया है।

3- विभागों द्वारा समयांतर्गत कार्यवाही न कर पाने तथा कतिपय समस्याओं से अवगत कराये जाने के दृष्टिगत , वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने में परिलक्षित हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु एन०आई०सी० एवं उपाम के माध्यम से दिनांक 06.05.2024 से दिनांक 08.05.2024 तक विभागों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आहूत किया गया है। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा जिसमें समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतएव विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात दिनांक 09.05.2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में समस्त विभागों के साथ (संलग्न सारिणी के अनुसार) एक ऑनलाइन बैठक आहूत की गयी है, जिसमें विभागों में कुल कार्यरत / पोर्टल पर पंजीकृत समूह `क` एवं समूह `ख` के अधिकारियों के सापेक्ष अभी तक हुए कुल वर्क फ़्लो जनरेशन तथा लंबित/अवशेष कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।

ओ०मिश्र
08-05-2024

4- अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के अन्तर्गत स्थापित / क्रियाशील निदेशालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय के विभागाध्यक्षों को भी उक्त ऑनलाइन बैठक में पूर्ण सूचना सहित प्रतिभाग करने हेतु स्वस्तर से निदेशित करते हुए वर्क फ़्लो जनरेशन के संबंध में कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति सहित बैठक

में कृपया निर्धारित समयानुसार प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक का लिंक/आई डी/पासवर्ड यथा समय उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

संलग्न : यथोक्त।

Digitally Signed by धनन्जय शुक्ला
Date: 08-05-2024 11:07:37
Reason: Approved

(धनन्जय शुक्ला)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 / समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग।
4. राज्य विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
5. श्री ए०के० रावत, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
उप सचिव।

विभागों में कुल कार्यरत/पोर्टल पर पंजीकृत समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के सापेक्ष अभी तक हुए कुल वर्क फ्लो जनरेशन तथा लम्बित/अवशेष कार्यवाही की समीक्षा दिनांक 09.05.2024 को आयोजित ऑनलाइन बैठक की विभागवार समय सारिणी:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	दिनांक एवं समय
1.	प्रशासनिक सुधार	दिनांक 09.05.2024 समय- पूर्वाह्न 10:30 बजे से 10:45 बजे
2.	कृषि	
3.	कृषि शिक्षा	
4.	पशुधन	
5.	पुरातत्व	
6.	आयुष	
7.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
8.	बेसिक शिक्षा	
9.	गन्ना विकास	
10.	नागरिक उड्डयन	
11.	वाणिज्य कर	
12.	उपभोकता संरक्षण एवं बांट माप	
13.	सहकारिता	
14.	समन्वय विभाग	
15.	संकृति	
16.	दुग्ध विकास	
17.	सार्वजनिक उद्यम	
18.	जिला गजेटियर	
19.	निर्वाचन	

20.	ऊर्जा	
21.	पर्यावरण	
22.	आबकारी	दिनांक 09.05.2024 समय- पूर्वाह्न 10:45 बजे से 11:00 बजे
23.	वित्त	
24.	मतस्य	
25.	खाद्य	
26.	खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन	
27.	वन	
28.	राज्यपाल सचिवालय	
29.	दिव्यांग कल्याण	
30.	उच्च शिक्षा	
31.	गृह	
32.	होमगाड्‌र्स	
33.	उद्यान	
34.	आवास एवं शहरी नियोजन	
35.	आई०सी०डी०एस०	
36.	औद्योगिक विकास	
37.	उद्योग विभाग	
38.	सूचना एवं जनसंपर्क	
39.	सिंचाई एवं जल संशाधन	
40.	आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स	
41.	जल शक्ति	
42.	न्याय	
43.	खादी एवं ग्रामोद्योग	दिनांक 09.05.2024 समय- पूर्वाह्न 11:00 बजे से 11:15 बजे
44.	श्रम विभाग	
45.	भाषा	
46.	विधायी विभाग	
47.	लोकायुक्त	

48.	चिकित्सा शिक्षा	
49.	चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	
50.	खनन विभाग	
51.	अल्प संख्यक कल्याण	
52.	एम०एस०एम०ई० एवं निर्यात प्रोत्साहन	
53.	एन०सी०सी०	
54.	नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा	
55.	पंचायती राज	
56.	परती भूमि विकास	
57.	नियुक्ति एवं कार्मिक	
58.	नियोजन	
59.	राजनैतिक पेंशन	
60.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
61.	पी०डब्ल्यू०डी०	
62.	राज्य संपत्ति	
63.	राजस्व	
64.	ग्राम्य विकास	दिनांक 09.05.2024 समय- पूर्वाह्न 11:15 बजे से 11:30 बजे
65.	ग्रामीण अभियंत्रण	
66.	सचिवालय प्रशासन विभाग	
67.	सैनिक कल्याण	
68.	एस०सी०ई०आर०टी०	
69.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
70.	माध्यमिक शिक्षा	
71.	रेशम	
72.	समाज कल्याण	
73.	खेल	
74.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	
75.	तकनीकि शिक्षा	

76.	टेक्सटाइल	
77.	पर्यटन	
78.	परिवहन	
79.	शहरी विकास	
80.	सतर्कता	
81.	व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	
82.	महिला कल्याण	
83.	युवा कल्याण	
84.	मा० मुख्यमंत्री कार्यालय	

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 163(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1810563)

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ : *07/05/2024***

विषय:-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवरणों के ऑनलाइन रख - रखाव तथा मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल विकसित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश संख्या- 63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक जेनरेट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदक्रम में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-63(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 05.04.2024 द्वारा अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया हैं।

2- विभागों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किये जाने में आ रही कतिपय समस्याओं से अवगत कराया गया हैं। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मानव सम्पदा पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) ऑनलाइन दाखिल किये जाने में परिलक्षित हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. एक से अधिक प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारियों द्वारा कार्य देखे जाने की स्थिति में कार्मिक द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक द्वारा कार्य देखे जाने की अवधि के अनुसार पृथक-पृथक स्वमूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी द्वारा काम 03 माह से कम देखा गया है ऐसी स्थिति में 03 माह से कम काम देखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को ब्लॉक/बाईपास करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या आफिस एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से सीधे समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
2. जहाँ पर त्रिस्तरीय मूल्यांकन के स्थान पर द्विस्तरीय मूल्यांकन की व्यवस्था है, उस विभाग/कार्यालय में विभाग की संरचनानुसार प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को बाईपास/ब्लॉक करते हुए वार्षिक प्रविष्टि के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
3. प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी की भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने या ऐसी स्थिति, जिसमें उनका *eHRMS code* अक्रियाशील हो, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) उक्त अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाना संभंव नहीं है, उस स्थिति में माड्यूल में यह व्यवस्था की जायेगी की प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी को होल्ड पर रखते हुए स्वमूल्यांकन आख्या/ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आफिस एडमिनिस्ट्रेटर की आई०डी० पर जायेगी उनके द्वारा भौतिक रूप से संबंधित अधिकारी का मन्तव्य प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन मोड से अगले स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
4. प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के सेवानिवृत होने के स्थिति में उक्त अधिकारी का *eHRMS code* अक्रियाशील होने के कारण स्वमूल्यांकन आख्या/ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आफिस एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से अगले स्तर पर भेजी जायेगी। स्वीकर्ता अधिकारी की सेवानिवृति की स्थिति में उनके निचले स्तर- प्रतिवेदक/समीक्षक (जैसी स्थिति हो) पर किये गये मूल्यांकन को अंतिम माना जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

Digitally Signed by डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
Date: 07-05-2024 10:55:21
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. महानिदेशक, उपाम, अलीगंज, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मानव सम्पदा पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) माड्यूल में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक संशोधन कराते हुए शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
13. श्री ए०के० रावत, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० (मानव सम्पदा पोर्टल)।
14. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ला)
विशेष सचिव